न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 3/17 **निर्णय दिनांकः 13.08.2018**

1. केसरसिंह पुत्र नगासिंह जाति राजपूत निवासी भलूरी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 26—06—2008
सहायक उपनिवेशन आयुक्त, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय दिनांक 26—06—2008 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक ख्क 5 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 193/55 की भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र

के साथ तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 26—06—2008 को उक्त रकबे को जोहड़ पायतान हेतु आरक्षित होने के कारण खारिज कर दिया गया। आवंटन पत्रावली के तहत अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदित समस्त भूमि में से मुरब्बा नम्बर 193/55 के किला नम्बर 1 ता 4, 9 ता 11, 20 ता 21 में कुल 9 बीघा भूमि ही जोहड़पायतान हेतु आरक्षित भूमि है तथा किला नम्बर 5 ता 8, 12 ता 19, 22 ता 25 की 16 बीघा भूमि शुद्व रकबा राज भूमि है तथा आवंटन योग्य भूमि है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना ही अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है। जो स्पष्ट रूप से कानून विरूद्व होने से खारिज योग्य है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत को चाहिए था कि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा जोकि जोहड़ पायतान हेतु आरक्षित नहीं है तथा शुद्व रूप से रकबा राज है, उक्त रकबे का आवंटन किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा आनन—फानन में अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—06—2008 के विरूद्व अपील

20—01—2017 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र वादगत् भूमि जोहड़ पायतान हेतु आरक्षित होने के कारण खारिज किया गया है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—06—2008 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील दिनांक 20—01—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत भूमि के समक्ष चक 5 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 193/55 की भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा जोहड़ पायतान हेतु आरक्षित होने के कारण खारिज कर दिया गया।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवेदित रकबे के संबंध में संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई। संबंधित तहसीलदार द्वारा दिनांक 26—06—2008 को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए

अभिलिखित किया गया कि आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के आदेश क्रमांक प—5(ई) (34) उपनि/92/बी—5470 दिनांक 01—10—2004 के संबंध में अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रकबा जोहड़ पायतान का है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

(4) प्रकरण में चूंकि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा जोहड़ पायतान हेतु आरक्षित है ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं रही है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् जमाबन्दी प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अपीलांट द्वारा आवेदित समस्त भूमि जोहड़ पायतान की भूमि नहीं हैं अतः शेष भूमि के आवंटन का वह हकदार है। इस संबंध में हमारा अभिकथन है कि चूंकि संबंधित तहसीलदार द्वारा दिनांक 26—06—2008 को प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया जा चुका है कि वादगत् भूमि जोहड़ पायतान हेतु आरक्षित भूमि है तथा इसी आधार पर अदालत मातहत द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र सही खारिज किया है तथा खारिज की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी। जो विधि सम्मत है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 26—06—2008 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर